राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2158/2007/बांसवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, भीलवाड़ा । .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स अग्रवाल अशोक ट्रेडिंग कं0, बांसवाड़ा । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
एच0एल0पाण्डे, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीयअभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :11.11.2009

15-12-09

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, भीलवाड़ा द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स),उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2007 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गयी शास्ति अन्तर्गत धारा 78(5) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान दिनांक 29.12.04 को वाहन संख्या आर.जे–20/जी–0169 को बांसवाड़ा से आसीन्द जाते समय जांच हेतु रोका गया । अपीलार्थी के चाहने पर वाहन में परिवहनीत माल ''लूज कपास'' के संबंध में बिल कमांक 26 व बिल्टी कमांक 1479 दिनांक 28.12.04 वाहन चालक ने जांच हेतु प्रस्तुत किये। अपीलार्थी ने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन बाद यह अवधारित किया कि माल कृषि जिन्स होते हुये भी कृषि उपज मण्डी समिति का निर्यात प्रतिवेदन, जावक गेट पास नहीं है तथा न ही कांटा पर्ची है, जबकि वजन घोषित है। अतः प्रस्तुत बिल को संदेहास्पद मानकर बिल बुक से सत्यापन होना आवश्यक मानते हुये, वाहन को निरूद्ध किया। दिनांक 29.12.04 को प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री दशरथलाल अग्रवाल ने उपस्थित होकर आलोच्य अवधि 2004–05 की नियमित बिल बुक वास्ते जांच अपीलार्थी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसकी जांच पर अपीलार्थी ने यह अवधारित किया कि वक्त जांच पाये गये बिल नं0 26 दिनांक 28.12.04 की प्रथम प्रति को खाली

प्रमाणित प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

लगातार...2

रखा गया, जिसे वाहन रोके जाने के पश्चात् शास्ति से बचने के लिये फाड़ जाकर खुर्द–बूर्द कर दी गयी है, अपीलार्थी ने यह भी पाया कि चतुर्थ प्रति के द्वितीय प्रति प्रकट किया हुआ है परन्तु उक्त कार्यालय (ऑफिस) प्रति नहीं है अतः प्रस्तुत बिल को कूटरचित मानते हुये धारा 78(2) व 78(4) का उल्लंघन मानकर, वाद के तथ्यों से अवगत करवाते हुये प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी श्री दशरथलाल ने जवाब प्रस्तुत किया कि नोटिस में वर्णित तथ्य उन्हें स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त भूल तकनीकी भूल है जिसके आधार पर शास्ति आरोपित करना न्यायोचित नहीं है। अतः नोटिस की कार्यवाही निरस्तकर माल व वाहन छोड़ने का निवेदन किया व जवाब से असहमत होने की दशा में जुर्माना जमा कर, वाद का निष्पादन जवाब प्रस्तुत करने की तिथि को ही करने का निवेदन किया। फलस्वरूप अपीलार्थी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील इस आधार पर स्वीकार कर ली कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की बदनीयती कहीं पर भी प्रमाणित नहीं की है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स प्रशान्त ग्रेनाईट इण्डिया लि. 9 टैक्स अपडेट 125 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में आरोपित शास्ति अपास्त कर अपील स्वीकार कर ली जिसे इस अपील द्वारा चुनौती दी गयी है ।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है । इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक है, क्योंकि प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि माल कृषि जिन्स होते हुये भी कृषि उपज मण्डी समिति का निर्यात प्रतिवेदन, जावक गेट पास नही थे तथा न ही कांटा पर्ची पायी गयी थी, हालांकि उक्त अधिनियम की धारा 78(2) के विहित दस्तावेज नहीं है परन्तु इन दस्तावेजों का न होना सन्देह का आधार बनता है,अतः इस आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चाहे जाने पर नियमित बिल बुक वास्ते जांच अपीलार्थी के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें बिल नं0 26 दिनांक 28.12.04 की प्रथम प्रति को खाली रखा गया, जिसे वाहन रोके जाने के पश्चात्, शास्ति से बचने के लिये फाड़ी जाकर खुर्द–बुर्द कर दिया गया था, साथ ही

लगातार...3

चतुर्थ प्रति नियमित कार्यालय प्रति नहीं होना पाया गया है । उक्त तथ्यों आधार पर ही अपीलार्थी द्वारा शास्ति आरोपित की थी, जिसे अपील अधिकारी ने अपास्त करने में विधिक भूल की है। अपने कथन के समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 18 टैक्स अपडेट 321 मै गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम् वा.क.अ. को उद्धरित कर तद्नुसार अपीलीय आदे को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है । प्रकरण का निष्पादन एव पक्षीय बहस सुनी जाकर, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार प गुणावगुण पर किया जा रहा है ।

6. बहस पर मनन कियागया एवम् रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया तथा माननीय न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत 9 टैक्स अपडेट 125 तथा माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 18 टैक्स अपडेट 321 मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलोकन किया गया । माननीय शीर्ष न्यायालय ने 'बदनीयती' के बिन्दु पर निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया है:-" The object behind enactment of Section 78(5) is to emphasise loss of revenue and to provide a remedy for such loss. It is not the object of the said Section to punish the offender for having committed an economic offence and to deter him from committing such offences. The penalty imposed under the said Section 78(5) is a civil liability. Willful consignment is not an essential ingredient for attracting the civil liability as in the case of prosecution. Section 78(2) is a mandatory provision..... The penalty is for statutory offence. Therefore, there is no q uestion of proving of intention or of mens rea as the same is excluded from the category of essential element for imposing penalty. Penalty under section 78(5) is attracted as soon as there is contravention of statutory obligations . Intention of parties committing such violation is wholly irrelevant."

अतः 'बदनीयती' के नहीं होने के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में शास्ति को अपास्त करना उचित व विधिसम्मत नहीं है । अपीलीय अधिकारी द्वारा अंकित तथ्य कि बिल की प्रति के साथ फर्म के लेटर पेड पर डी.डी द्वारा भुगतान भेजने का विवरण लिखा हुआ है, रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप सही नहीं

लगातार...4

है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बिल की प्रथम प्रति को खाली रखा था जिसे वाहन को रोके जाने के पश्चात् फाड़ी जाकर खुर्द–बुर्द कर, चतुर्थ प्रति को नियमित कार्यालय प्रति प्रकट करने के बिन्दु पर कोई अभिमत देकर निष्कर्ष अंकित नहीं किये हैं, जो इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिन्दु है । अतः इस बिन्दु पर निष्कर्ष अवधारित करने के अभाव में पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर, प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दु पर बिल बुक का अवलोकन कर इस संबंध में पुनः विधिसम्मत निष्कर्ष अवधारित कर आदेश पारित करने की कार्यवाही करें ।

7. परिणामतः, प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

8. निर्णय सुनाया गया ।

(एच.एल.पाण्डे)
सदस्य

मिलान किया